



दिनांक 07.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 513/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 04 मोटर साइकिल, 10 कटी हुयी मोटर साइकिल के पार्ट्स
- 01 पिकअप वाहन बरामद

दिनांक 07.10.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मूडघाट पंचायत भवन के पास से 03 अभियुक्तों 1—राजू 2—राजेश कुमार 3—रंगीलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल, 10 कटी हुयी मोटर साइकिल के पार्ट्स, 01 पिकअप वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू के विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, गोण्डा, अयोध्या, बस्ती के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त राजेश कुमार व रंगीलाल के विरुद्ध जनपद बस्ती के थाना कोतवाली पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा-आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजू निवासी मुबारकपुर थाना कोतवाली टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2—राजेश कुमार निवासी नगर बाजार थाना नगर जनपद बस्ती।
- 3—रंगीलाल निवासी एकसड़ा थाना नगर जनपद बस्ती।

बरामदगी

- 1—चोरी की 04 मोटर साइकिल, 10 कटी हुयी मोटर साइकिल के पार्ट्स।
- 2—01 पिकअप वाहन।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 04 करोड़ 04 लाख 80 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 24 ग्राम अवैध स्मैक

• 01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक 07.10.2026 को थाना जनकपुरी, एण्टी नारकोटिक्स सेल सहारनपुर व एसओजी, स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैग्रेट होटल रजवाहे की पटरी पर चकहरेटी की तरफ से अभियुक्त साकिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ 04 लाख 80 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 24 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साकिर निवासी मोहल्ला तकिया खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 04 करोड़ 04 लाख 80 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 02 किलो 24 ग्राम अवैध स्मैक ।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 02 करोड़ 05 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 28 ग्राम अवैध स्मैक

• घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार

• 03 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 07.10.2026 को थाना मण्डी, एण्टी नारकोटिक्स सेल सहारनपुर व एसओजी, स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—शहजाद उर्फ कालू 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 05 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 28 ग्राम अवैध स्मैक, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद उर्फ कालू के विरुद्ध जनपद शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद उर्फ कालू निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन, शामली हालपता—नजीम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 05 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 28 ग्राम अवैध स्मैक।

2—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार।

3—03 मोबाइल फोन।

➤ जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद सोनभद्र/थाना करमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/34/498ए भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1—फिरोज 2—नसीम 3—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 36 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 आलम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
